ई—मेल / तत्काल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त निदेशक / प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला (पुरूष / महिला) / संयुक्त / अन्य चिकित्सालय, उ0प्र0।
3. समस्त प्रधानाचार्य / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कालेज, कानपुर नगर / गोरखपुर / झांसी / मेरठ / आगरा / इलाहाबाद।
4. अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
5. समस्त प्रधानाचार्य, आर0एफ0पी0टी0सी0, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी ट्रामा सेन्टर, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः—19फ / उप0 / टी0सी0—147 / 2016 / 4588 लखनऊ : दिनांक 27/12/2016

विषयः **प्रदेश में उपचारिका के पदों पर सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से रिक्त 2930 पदों पर केवल 06 माह के लिए संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या—3052 / पॉच—8—2016—जी0(235) / 2016, दिनांक 22.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालय, औषधालय एवं अन्य चिकित्सालयों में उपचारिकाओं के पद रिक्त होने के कारण रोगियों की चिकित्सा उपचार की सेवाओं पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए प्रदेश में स्वीकृत उपचारिकाओं के पदों में से रिक्त 2930 पदों पर केवल 06 माह के लिए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्य लिये जाने के संबंध में निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सहमति शासन द्वारा प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

(1) इस संबंध में नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन किया जायेगा तथा सेवा प्रदाता एजेन्सी से नियमानुसार आवश्यक अनुबन्ध भी किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था है अतः केवल 06 माह के लिए होगी। इसकी अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भविष्य में नहीं किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उपचारिका के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना परिधिगत अधिकारियों के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ईकाई वार सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संलग्न सूची में दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या से अधिक किसी भी दशा में उपचारिकाओं (संविदा) का चयन न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में आप स्वंय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ उपचारिका के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदो के अनुसार उपचारिका के रिक्त 2930 पदों पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण कर शासन / महानिदेशालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

पत्र संख्याः—19फ / उप0 / टी0सी0—147 / 2016 / तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग—8 पत्र संख्या—3052 / पॉच—8—2016—जी0 (235) / 2016, दिनांक 22.12.2016 के सन्दर्भ में।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से भी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र एवं संलग्न सूची विभागीय वेबसाइट कर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

(सुरेश चन्द्रा)
संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)

Email

महत्वपूर्ण

संख्या-- 3052/ पॉच--8--2016--जी0(235) / 2016

प्रेषक,

डा0 नीरज शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग--8 लखनऊ : दिनॉक 22 दिसम्बर, 2016

विषयः--प्रदेश में उपचारिका के पदो पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से रिक्त 2930 पदो पर केवल 06 माह के लिए संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--2806 / 19फ / एस0एन0 / 2015--16, दिनांक 08--09--2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों, औषधालय एवं अन्य चिकित्सालयों में उपचारिकाओं के पद रिक्त होने के कारण रोगियों की चिकित्सा उपचार की सेवाओं पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। इसके समाधान के लिए प्रदेश में स्वीकृत उपचारिकाओं के पदों में से रिक्त 2930 पदो पर केवल 06 माह के लिए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है :--

(1) इस सम्बन्ध में नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जायेगा तथा सेवा प्रदाता एजेंसी से नियमानुसार आवश्यक अनुबन्ध भी किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था है, अतः केवल 06 माह के लिए होगी। इसकी अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भविष्य मे नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत पदों पर नियमित भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग से शीघ्र चयन कराये जाने का अनुरोध किया जाय।

भवदीय,

(डा0 नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या-- 3052-(1) / पॉच--8--2016--तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) निदेशक(नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

उपचारिका संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण मार्च 2016						
मण्डल का नाम	जनपद का नाम	क्र.सं.	यूनिट का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
आगरा	आगरा	1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा	43	19	24
		2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आगरा	18	16	2
		3	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आगरा	35	33	2
		4	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	133	89	44
		6	निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, टी0बी0डी0टी0सी0, आगरा	2	0	2
	फिरोजाबाद	7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद	28	3	25
		8	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोगाश्रम, फिरोजाबाद	25	7	18
		9	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद	5	5	0
		10	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकि0 शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	12	3	9
		11	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, टी0बी0 सैन्टोरियम, फिरोजाबाद	0	0	0
			मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी ट्रामा सेन्टर, फिरोजाबाद	15	4	11
	मैनपुरी	12	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी	28	4	24
		13	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, मैनपुरी	4	4	0
		14	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मैनपुरी	21	14	7
	मथुरा	15	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा	24	6	18
		16	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा	10	9	1
		17	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, वृन्दावन, मथुरा	11	9	2
		18	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मथुरा	12	11	1
	कांशीराम नगर	1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांशीराम नगर	19	14	5
अलीगढ़	अलीगढ़	2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी,अलीगढ़	39	8	31
		3	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मलखान सिंह जिला चिकि0, अलीगढ़	26	20	6
		4	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प0 दीनदयाल उपाध्याय, संयुक्त चिकि0, अलीगढ़	26	20	6